

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL**

**EASTERN ZONE BENCH, KOLKATA**

**IN THE MATTER OF:**

**Original Application No. 55 /2025/EZ**

**NEWS ITEM TITLED: 5 JHARKHAND FOREST OFFICERS ATTACKED BY  
STONE MAFIA, APPEARING IN THE TIMES OF INDIA  
DATED 24.03.2025**

**INDEX**

Sl. No.	Particulars	Page No.
1.	Counter Affidavit filed by District Magistrate and District Mining Officer, Palamu, Jharkhand, Jharkhand.	1 - 5
2.	Verification	6 - 7
3.	ANNEXURE - 1	8 - 10
4.	ANNEXURE - 2	11 - 13
5.	ANNEXURE - 3	14 - 19
6.	ANNEXURE - 4	20 - 23



**AISHWARYA RAJYASHREE**

**Advocate**

**Bar Association Room No. 5,**

**High Court, Calcutta**

**Chamber: 8/1, K.S. Roy Road,**

**Kolkata: 700001.**

**(M)9874995669**

**Email: [advaish.hc@gmail.com](mailto:advaish.hc@gmail.com)**

of 84618

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
EASTERN ZONE BENCH, KOLKATA  
IN THE MATTER OF:

Original Application No. 55/2025/EZ



NEWS ITEM TITLED: 5 JHARKHAND FOREST OFFICERS ATTACKED BY STONE  
MAFIA, APPEARING IN THE TIMES OF INDIA DATED 24.03.2025

...Applicant(s)

Book No. 17652  
SL. No. 25921  
Date 09/07/2025

COUNTER AFFIDAVIT FILED BY OF DISTRICT MAGISTRATE AND DISTRICT  
MINING OFFICER, PALAMU, JHARKHAND (i.e. RESPONDENT NO. 2 AND 4  
HEREIN).

I, Sunil Kumar, son of Shri Kunwar Mahto, aged about 38 years, by Religion -  
Hinduism, by Occupation - Service under Government of Jharkhand in the office  
of District Mining Officer, Palamu, Jharkhand, having its residence at Vill -  
Sandh, P.S. - Barkagaon, District - Hazaribagh, Jharkhand, do hereby solemnly  
affirm and state as follows:

1. That, I am the District Mining Officer, Palamu, Jharkhand, (i.e. Respondent No. 4 herein) and that I am aware of the facts and records in the instant case and have gone through the allegations and contentions in the Original Application as such I am competent to make and affirm the instant Affidavit for myself and the Respondent No. 2 herein. Also, I am duly authorized to do so by the Deputy Commissioner, Palamu, Jharkhand (i.e. Respondent No. 2 herein)



2. That, I am a law-abiding Citizen of India and very much respect the  
Constitution and Judicial System of India.

3. That in pursuance and in compliance to the order dated 07.04.2025 of the Hon'ble Tribunal in the instant Original Application this Counter Affidavit is being filed by Respondent nos. 2 and 4 of the Original Application.
4. That this affidavit is being filed for bringing necessary facts and statements on record for just and proper adjudication of this case.
5. This matter primarily concerns an offence committed within the protected forest area of Palamau District of the State of Jharkhand. During the investigation carried out by the officers and employees of the Divisional Forest Office, Palamau, a criminal incident had been committed by unknown individuals. As a result, two cases were registered by the concerned officers/employees at Chhatarpur Police Station: Case No. 26/2025, dated 17.02.2025, and Case No. 52/2025, dated 23.03.2025. The action taken report submitted by the concerned District Police regarding these cases is attached herewith for reference.



The photocopy of the said action taken report submitted by the District Police is annexed hereto and marked as Annexure – 1.

6. That Shri Navneet B.R., IFS, an attached officer of the Medininagar Forest Division, informed through Letter No. 369, dated 20.02.2025, that a forest case has been registered in connection with the illegal excavation of stones from forest land, which were subsequently found at the storage sites of crusher operators in Mauja - Bardiha and Charai. In light of this information, several notices were promptly issued to all crusher operators through respective letters dated 22.02.2025.

*Handwritten signature and date:*  
S.K. Sharan  
07/04/25

The photocopy of the said letters dated 22.02.2025 are annexed hereto and collectively marked as Annexure – 2.

7. That all the aforementioned crusher units were also inspected by the District Mining Office, Palamu, Jharkhand and based on the irregularities identified during the inspection, the dealer registrations of a total of 08 crushers have been cancelled. Further, the Information regarding such cancellation has been duly communicated to the concerned Circle Officer, Officer-in-Charge of the Police Station, Mines Inspector, Sub-Divisional Officer, Chhatarpur, and the Divisional Forest Officer, Medininagar Forest Division, for necessary monitoring and further action.

The photocopy of all such communications is annexed hereto and collectively marked as Annexure – 3.

8. That the said area is under continuous inspection and investigation by the District Mining Office, Palamu, Jharkhand. In this context, following the incident that occurred on 03.06.2025, irregularities committed by a total of 04 crusher operators from Mauja - Bardiha and Murumdag, located near the site of the incident, have been identified and consequently, the dealer registrations issued in their favour have been cancelled with immediate effect. Such, Information regarding these cancellations has been communicated to the concerned Circle Officer, Officer-in-Charge of the Police Station, Mines Inspector, and Sub-Divisional Officer, Chhatarpur, for necessary monitoring and further action.

The photocopy of all such communications is annexed hereto and collectively marked as Annexure – 4.



Handwritten signature and date: 09/07/25

9. That it is submitted that W.P.(C) No. 1396 of 2025 (*M/s Vaishno Mata Stone Chips Crusher vs. State of Jharkhand & Others*) and W.P. (C) No. 1245 of 2025 (*M/s Jai Maa Stone Chips vs. State of Jharkhand & Others*) have been filed before the Hon'ble High Court of Jharkhand, Ranchi, challenging the actions taken by the District Mining Office bridge the Memo No.- 109 of Superintendent of Police Office and Forest Division Office in relation to the irregularities committed by the above-mentioned crusher operators.

10. In light of the interim order passed by the Hon'ble Court in W.P. (C) No. 1245 of 2025, the District Mining Officer conducted an inspection of the crusher unit in the presence of the petitioner and during the inspection, irregularities were found, and accordingly, a penalty amounting to Rs. 1,29,216/- (Rupees One Lakh Twenty Nine Thousand Two Hundred and Sixteen) was been imposed and recovered from the operator.

11. That in order to prevent illegal mining, transportation, and storage activities within the district, regular meetings of the District Level Mining Task Force are being organized. During these meetings, necessary instructions and guidelines are issued to all concerned members, including the Circle Officer, Divisional Forest Officer, District Transport Officer, Officer-in-Charge of the respective Police Stations, and other relevant authorities to ensure strict monitoring and effective enforcement of mining regulations.



09/03/25

12. That it is submitted that since April 2024, a total of 933 investigations has been conducted by the District Administration in connection with illegal mining activities. As a result of these investigations, a total of 54 FIRs has been registered against individuals and entities involved in illegal mining.

13. That the District Mining Officer-cum-Member Secretary, District-Level Mining Task Force, has issued a letter bearing Letter No. 1611, dated 13.06.2025, providing all members of the Task Force with a comprehensive list of valid mining leases, valid crushers, cancelled mining leases, and cancelled crushers within the district. The purpose of circulating this information is to facilitate effective monitoring, ensure prompt reporting of illegal mining activities, and enable the concerned authorities to take necessary legal action wherever instances of illegal mining are detected.

14. That at present, surveillance in the said areas has been significantly increased, and illegal mining activities have been completely stopped as a result of these enhanced monitoring efforts.

15. That this Counter Affidavit is filed bonafide and in the interest of justice. It is therefore prayed that Your Lordships, may kindly be pleased to accept the instant Counter Affidavit.

16. That the answering respondent seeks leave to file any further affidavits, if required, as per direction of the Hon'ble Tribunal.

17. I state that the statements contained in paragraphs Nos. 1 to 4 are true to my knowledge, the statements contained in paragraph Nos. 5 to 14 are true to my information derived from the official records of the case, which I verily believe to be true and the rest is/are my respectful submissions before this Hon'ble Tribunal.



VERIFICATION

I, Sunil Kumar, son of Shri Kunwar Mahto, aged about 38 years, by Religion - Hinduism, by Occupation - Service under Government of Jharkhand in the office of District Mining Officer, Palamu, Jharkhand, having its residence at Vill - Sandh, P.S. - Barkagaon, District - Hazaribagh, Jharkhand is filing this instant Counter Affidavit on this the 09 day of July, 2025.

Date: 09/07/25

Place: Daltongarh

*[Signature]*  
09/07/2025  
(Sunil Kumar)

Deponent

Identified by me:

*[Signature]*  
09/07/25  
Advocate



THE DEPONENT *[Signature]*  
Who is identified by Sr. *[Signature]*  
Advocate who appeared  
before me and swear on oath that the  
contents of  
his *[Signature]*  
are true & correct to the best of his/her  
knowledge, information and belief

*[Signature]*  
09/07/2025  
S. K. Sharan  
Notary Palamu

पत्र (AFFIDAVIT)

Book No. 62 Sl. No. 17652  
Date 09.07.2025



THE DEPONENT Mr/Mrs  
Who is identified by Sr  
Advocate who appeared  
before me and swear to the  
contents of  
this...  
true & correct to the best of his/her  
Knowledge information and belief

Suniti Kumar  
R.K. Singh  
A. Sharan

S. R. Sharan  
Notary Palamau



पलामू जिला अधिवक्ता संघ				
पलामू जिला अधिवक्ता संघ				
पलामू जिला अधिवक्ता संघ				
पलामू जिला अधिवक्ता संघ				
पलामू जिला अधिवक्ता संघ				
पलामू जिला अधिवक्ता संघ				
पलामू जिला अधिवक्ता संघ				
पलामू जिला अधिवक्ता संघ				
पलामू जिला अधिवक्ता संघ				
पलामू जिला अधिवक्ता संघ				

पलामू जिला अधिवक्ता संघ, डालटनगंज

क्रमांक-P

4618



महासचिव

अध्यक्ष

ज्ञापांक-...1096/हि.शा.  
पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, पलामू।

मेदिनीनगर, दिनांक-07/07/2025.

सेवा में,

जिला खनन पदाधिकारी,  
पलामू, मेदिनीनगर।

प्रसंग :- आपका कार्यालय पत्रांक-1834/एम०, दिनांक-07.07.2025.

विषय :- माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, कोलकाता में प्रतिशपथ पत्र दायर करने हेतु छत्तरपुर थाना काण्ड संख्या-26/2025 एवं 52/2025 का अद्यतन स्थिति प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

.....०००.....

उपर्युक्त प्रसंग एवं विषय के संबंध में सूचित करना है कि प्रासंगिक पत्र के माध्यम से माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, कोलकाता में O.A.No-55/2025/EZ में प्रतिशपथ पत्र दायर करने हेतु छत्तरपुर थाना कांड संख्या-26/2025 एवं 52/2025 का अद्यतन स्थिति प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है।

उल्लेखनीय है कि (1) छत्तरपुर थाना कांड संख्या-26/2025, दिनांक-17.02.2025, धारा-191(2)/191(3)/190/121/132 बी०एन०एन० एवं 3 सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984, यह कांड वादी-लक्ष्मीकान्त पाण्डेय पिता ललन पाण्डेय वनरक्षी छत्तरपुर पूर्वी वन प्रक्षेत्र अन्तर्गत हुटुकदाग जिला पलामू स्थायी ग्राम महुलिया थाना पाटन जिला पलामू के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त सरफुद्दीन अंसारी पिता स्व० विगन अंसारी उर्फ जीमरुद्दीन अंसारी सा० बचकोमा (मुरुमदाग) थाना छत्तरपुर जिला पलामू एवं अज्ञात 30-35 व्यक्तियों के विरुद्ध हरवे अधियार से लैश होकर वनरक्षियों पर हमला कर सरकारी वाहन को क्षतिग्रस्त करना एवं सरकारी कार्य में बाधा पहुँचाने के आरोप में दर्ज किया गया है।

अनुसंधान, पर्यवेक्षण एवं प्रतिवेदन-दो से यह कांड धारा-191(2)/191(3)/190/121/132 बी०एन०एन० एवं 3 सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984 के अन्तर्गत प्राथमिकी अभियुक्त-सरफुद्दीन अंसारी पिता स्व० विगन अंसारी उर्फ जीमरुद्दीन अंसारी सा० बचकोमा (मुरुमदाग) थाना छत्तरपुर जिला पलामू एवं अज्ञात 30-35 व्यक्तियों के विरुद्ध सत्य पाया गया है।

अनुसंधानकर्ता को कांड में सत्य पाये गए प्राथमिकी अभियुक्त सरफुद्दीन अंसारी को विधिवत् गिरफ्तार करने तथा फिरार रहने की स्थिति में कुर्की-जप्ती करने तथा घटना में शामिल अज्ञात व्यक्तियों का नाम-पता ज्ञात कर साक्ष्यानुसार गिरफ्तार/कुर्की-जप्ती करने का आदेश दिया गया है। काण्ड अनुसंधानान्तर्गत है।

(2) छत्तरपुर थाना कांड संख्या-52/2025, दिनांक-23.03.2025, धारा-191(2)/191(3)/190/126(2)/127(2)/115(2)/117(2)/121(1)/121(2)/109/352/61(2) बी०एन०एस०, 21 खान एवं खनिज (विकास का विनियम) अधिनियम, 1957, 13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भण्डारण) नियम-2017 एवं 33 भारीय वन अधिनियम, यह कांड वादी राहुल कुमार उम्र करीब 30 वर्ष पिता रामदीप राम वर्तमान में वनरक्षी मेदिनीनगर वन प्रमण्डल छत्तरपुर पूर्वी वन प्रक्षेत्र जिला पलामू के टंकित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त-1. ट्रैक्टर का मॉडल नम्बर-5039D चेचिस नम्बर-1VY5039DHLA008654 इंजन नम्बर-PY3029D590730 के मालिक, 2. चालक संजय यादव पिता सोनू यादव ग्राम बसडीहा 3. ट्रैक्टर का मॉडल नम्बर-B275DI सिरियल नम्बर-PYNB00177GE एवं रजिस्ट्रेशन नम्बर, इंजन नम्बर, चेचिस नम्बर मिटा हुआ के मालिक 4. चालक विनय यादव पिता अमरिका ग्राम रूदवा दोनों थाना छत्तरपुर 5. मुकेश सिंह पिता अंकित नहीं 6. लालदेव यादव 7. बिशुनदेव यादव 8. उदेश्वर यादव तीनों पिता रामकेश यादव 9. धनंजय भुईयां पिता प्रकाश भुईयां एवं 10. मनोज यादव पिता युगेश यादव सभी ग्राम बासडीहा थाना छत्तरपुर जिला




पलामू एवं अज्ञात के विरुद्ध अवैध रूप से पत्थर उत्खनन कर रहे दो ट्रैक्टर को पकड़कर लाने के क्रम में अभियुक्तों को जबरदस्ती छुड़ाकर ले जाने के आरोप में दर्ज किया गया है।

अनुसंधान, पर्यवेक्षण एवं प्रतिवेदन-दो से यह कांड धारा-191(2)/191(3)/190/126(2)/127(2)/115(2)/117(2)/121(1)/121(2)/109/352/61(2) बी०एन०एस०, 21 खान एवं खनिज (विकास का विनियम) अधिनियम, 1957, 13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भण्डारण) नियम-2017 एवं 33 भारीय वन अधिनियम के अन्तर्गत प्राथमिकी अभियुक्त-1. ट्रैक्टर का मॉडल नम्बर-5039D चेचिस नम्बर-1VY5039DHLA008654 इंजन नम्बर-PY3029D590730 के मालिक, 2. चालक संजय यादव पिता सोनू यादव ग्राम बसडीहा 3. ट्रैक्टर का मॉडल नम्बर-B275DI सिरियल नम्बर-PYNB00177GE एवं रजिस्ट्रेशन नम्बर, इंजन नम्बर, चेचिस नम्बर मिटा हुआ के मालिक 4. चालक विनय यादव पिता अमेरिका ग्राम रूदवा दोनों थाना छत्तरपुर 5. लालदेव यादव 6. विशुनदेव यादव 7. उदेश्वर यादव तीनों पिता रामकेश यादव 8. धनंजय भुईयां पिता प्रकाश भुईयां एवं 9. मनोज यादव पिता युगेश यादव सभी ग्राम बासडीहा थाना छत्तरपुर जिला पलामू एवं अज्ञात के विरुद्ध सत्य पाया गया है तथा प्राथमिकी अभियुक्त 10. मुकेश सिंह पिता श्री अवध बिहारी सिंह ग्राम नौडीहा पो० खजूरी थाना छत्तरपुर जिला पलामू के विरुद्ध और गहराई से छानबीन के उपरांत निर्णय लिया जाना श्रेयष्कर पाया गया है।

इस कांड के प्राथमिकी अभियुक्त 1. विशुनदेव यादव पिता राकेश यादव दिनांक-21.05.2025 को अभियुक्त 2. संजय यादव पिता सोनू यादव 3. विनय यादव पिता अमेरिका यादव दिनांक-22.05.2025 को एवं अभियुक्त 4. लालदेव यादव 5. उदेश्वर यादव दोनों पिता रामकेश यादव एवं 6. धनंजय भुईयां पिता प्रकाश भुईयां दिनांक-17.06.2025 को मामनीय न्यायालय से जमानत पर मुक्त हैं।

यह कांड शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लंबित है। कांड अनुसंधानान्तर्गत है।  
अनु० :- य थो प रि।

  
पुलिस अधीक्षक,  
पलामू।





झारखण्ड सरकार  
खान एवं भूतत्व विभाग

जिला खनन कार्यालय, पलामू, मेदिनीनगर।

पत्रांक.../१४३४.../एम०, दिनांक...०७.०४.२०२५

प्रेषक,

जिला खनन पदाधिकारी,  
पलामू, मेदिनीनगर।

सेवा में,

पुलिस अधीक्षक,  
पलामू।

विषय:-

माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, कोलकाता में प्रतिशपथ पत्र दायर करने हेतु छतरपुर थाना काण्ड संख्या 26/2025 एवं 52/2025 का अद्यतन स्थिति प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सादर सूचित करना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, कोलकाता में O.A.No- 55/2025/EZ में प्रतिशपथ पत्र दायर करने हेतु छतरपुर थाना काण्ड संख्या 26/2025 एवं 52/2025 का अद्यतन स्थिति प्रतिवेदन की आवश्यकता है।

माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 07.04.2025 को पारित आदेश की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न करते हुए अनुरोध है कि उपरोक्त दोनों काण्डों से संबंधित अद्यतन स्थिति/अब तक की गयी कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

उल्लेखनीय है कि उक्त वाद में अगली सुनवाई की तिथि 09.07.2025 निर्धारित है।


सादर।

अनु० :- यथोक्त।

विश्वासभाजन

*[Handwritten Signature]*  
07/04/2025

जिला खनन पदाधिकारी,  
पलामू, मेदिनीनगर।



पत्र संख्या 369.../

कार्यालय:-वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल, मेदिनीनगर।

प्रेषक,

नवनीत बी0आर0, भा.व.से.  
संलग्न पदाधिकारी,  
मेदिनीनगर वन प्रमण्डल।

सेवा में,

जिला खनन पदाधिकारी,  
पलामू।

दिनांक: 20/2/25.../

विषय:- क्रशर के Purchase record उपलब्ध कराने के संबंध में।  
प्रसंग:- वन क्षेत्र पदाधिकारी, छतरपुर, पूर्वी वन प्रक्षेत्र द्वारा दिनांक 18.02.2025 को दायर वन वाद।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि निम्नलिखित क्रशर संचालकों के विरुद्ध अधिसूचित वनों से उत्खनित पत्थर क्रशर पर पाये जाने के कारण वन क्षेत्र पदाधिकारी, छतरपुर पूर्वी वन प्रक्षेत्र द्वारा दिनांक 18.02.2025 को वन वाद दायर किया गया है, जो निम्नवत् है :-  
मौजा-बरडीहा स्थित क्रशरों का नाम एवं पता:-

- 1-मेसर्स जय माँ स्टोन चिप्स, प्रो0 मुकेश कुमार सिंह, पिता-श्री अवध बिहारी सिंह, ग्राम+पो0+थाना-छतरपुर, पलामू।
  - 2-सर्वश्री जय माँ विन्ध्यावासिनी स्टोन चिप्स क्रशर, प्रो0 राकेश कुमार सिंह, पिता-अवध बिहारी सिंह, ग्राम+पो0+थाना-छतरपुर, पलामू।
  - 3-श्री जय माता स्टोन क्रशर, प्रो0- राम प्रवेश प्रसाद, पिता-श्री राजेश्वर साव, ग्राम-बरडीहा, पो0-चराई, थाना-छतरपुर, जिला-पलामू।
  - 4- कृष्णा यादव, (क्रशर), पिता-सोनू यादव, ग्राम-कोकरो, थाना-छतरपुर, जिला-पलामू।
- मौजा-बरडीहा एवं चराई स्थित क्रशरों का नाम एवं पता:-

- 1-महादेवा स्टोन चिप्स क्रशर प्रो0-बसंत कुमार गुप्ता, पिता- ललन प्रसाद, गुप्ता, मौजा-बरडीहा, थाना-छतरपुर, जिला-पलामू।
- 2-माँ स्टोन क्रशर, प्रो0-कृष्णा प्रसाद साहू, मौजा-चेराई, थाना-छतरपुर, जिला-पलामू।
- 3-मेसर्स वैष्णव माता स्टोन चिप्स, प्रो0-पप्पु कुमार, पिता-कपिलदेव सिंह, ग्राम-मसिहानी, थाना-छतरपुर, जिला-पलामू।
- 4-सर्वश्री जय माँ लिलोरी स्टोर क्रशर पार्टनर- ओम प्रकाश जायसवाल, पिता- राम सुन्दर जायसवाल, ग्राम+पो0-जम्होर, जिला-औरंगाबाद, बिहार एवं अन्य
- 5-मेसर्स गुप्ता चिप्स, प्रो0-गगनदेव प्रसाद, पिता-श्री राम जी साव, ग्राम-जौरा, थाना-छतरपुर, जिला-पलामू।

अतः अनुरोध है कि उक्त क्रशर का CTO/CTE निर्गत होने की तिथि से

आज दिनांक 20.02.2025 तक का Purchase record उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

20/02/2025

विश्वासभाजन,

संलग्न पदाधिकारी,

मेदिनीनगर वन प्रमण्डल।

20/02/2025

1515  
216  
91



# जिला खनन कार्यालय, पलामू, मेदिनीनगर।

पत्रांक...../एम०,  
दिनांक.....।

प्रेषित,

M/S Gupta Stone chips प्रो० श्री मायानन्द प्रसाद, पिता श्री रामजी साव, ग्राम जौरा, मंझौली, छतरपुर, पलामू।

विषय :- पलामू जिला के मौजा बरडीहा, थाना छतरपुर, खाता संख्या 21, प्लॉट संख्या 597, रकबा 00.40 एकड़ क्षेत्र पर पत्थर खनिज के खनिज विक्रेता निबंधन के संबंध में।

प्रसंग :- श्री नवनीत बी०आर०, भा०व०से०, संलग्न पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल का पत्र संख्या 369, दिनांक 20.02.2025

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि आपके पक्ष में स्वीकृत डीलर्स निबंधन संख्या J041115644 इस कार्यालय से विभिन्न शर्तों के साथ The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rule, 2017 के नियमों के तहत निर्गत है। उक्त नियमावली के नियम-5 एवं डीलर निबंधन के शर्त संख्या 02 के अनुसार आपको खनिज का क्रय वैध श्रोत से किया जाना अनिवार्य है। प्रसांगिक पत्र के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई है कि अधिसूचित वनों से उत्खनित पत्थर आपके भंडारण स्थल/क्रसर पर पाये गये हैं। फलस्वरूप आपके विरुद्ध वन क्षेत्र पदाधिकारी, छतरपुर पूर्वी वन प्रक्षेत्र द्वारा दिनांक 18.02.2025 को वनवाद दायर किया गया है। कार्यालय में संघारित दस्तावेज/जिम्स पोर्टल पर अपलोडेड मासिक विवरणी के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि आपके द्वारा वैध रूप से पत्थर खनिज का क्रय एवं विक्रय शुन्य है। जिससे स्पष्ट है कि आपके द्वारा डीलर्स निबंधन के आड़ में अवैध रूप से खजिनों का क्रय, विक्रय एवं व्यापार किया जा रहा है। इस प्रकार आपके द्वारा किया गया यह कार्य डीलर्स निबंधन के शर्तों के साथ-साथ उपरोक्त नियमावली के नियमों का उल्लंघन है।


अतः आपको The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rule, 2017 के नियम 8(3) के तहत नोटिस निर्गत करते हुए निदेश दिया जाता है कि पत्र प्राप्ति के सात दिनों के अंदर अपना पक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों नहीं आपके पक्ष में निर्गत डीलर्स निबंधन को रद्द कर दी जाय।

जिला खनन पदाधिकारी,  
पलामू, मेदिनीनगर।

ज्ञापांक...309...../एम०, दिनांक...22-02-25.....।

प्रतिलिपि :- श्री हरेन्द्र कुमार गुप्ता, खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, पलामू को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त क्रसर की जांचकर एक सप्ताह के अंदर प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि :- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।



जिला खनन पदाधिकारी,  
पलामू, मेदिनीनगर।



# जिला खनन कार्यालय, पलामू, मेदिनीनगर।

पत्रांक...../एम०,  
दिनांक.....।

प्रेषित:


मेसर्स जय मॉ स्टोन चिप्स, प्रो० श्री मुकेश कुमार सिंह, पिता श्री अवध विहारी सिंह, ग्राम नौडीहा, छतरपुर, पलामू

विषय :- पलामू जिला के मौजा वरडीहा, थाना छतरपुर खाता संख्या 14, प्लॉट संख्या 596, रकबा 3.40 एकड़ क्षेत्र पर पत्थर खनिज के खनिज विक्रेता निबंधन के संबंध में।

प्रसंग :- श्री नवनीत बी०आर०, भा०व०से०, संलग्न पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल का पत्र संख्या 369, दिनांक 20.02.2025

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि आपके पक्ष में स्वीकृत डीलर्स निबंधन संख्या J041127399 इस कार्यालय से विभिन्न शर्तों के साथ The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rule, 2017 के नियमों के तहत निर्गत है। उक्त नियमावली के नियम-5 एवं डीलर निबंधन के शर्त संख्या 02 के अनुसार आपको खनिज का क्रय वैध श्रोत से किया जाना अनिवार्य है। प्रसांगिक पत्र के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई है कि अधिसूचित वनों से उत्खनित पत्थर आपके भंडारण स्थल/क्रसर पर पाये गये हैं। फलस्वरूप आपके विरुद्ध वन क्षेत्र पदाधिकारी, छतरपुर पूर्वी वन प्रक्षेत्र द्वारा दिनांक 18.02.2025 को वनवाद दायर किया गया है। आपके द्वारा किया गया यह कार्य डीलर्स निबंधन के उपरोक्त शर्त का उल्लंघन है।


अतः आपको The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rule, 2017 के नियम 8(3) के तहत नोटिस निर्गत करते हुए निदेश दिया जाता है कि पत्र प्राप्ति के सात दिनों के अंदर अपना पक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों नहीं आपके पक्ष में निर्गत डीलर्स निबंधन को रद्द कर दी जाय।


  
जिला खनन पदाधिकारी,  
पलामू, मेदिनीनगर।

ज्ञापांक 311...../एम०, दिनांक 22-02-25।

प्रतिलिपि :- श्री हरेन्द्र कुमार गुप्ता, खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, पलामू को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त क्रसर की जांचकर एक सप्ताह के अंदर प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि :- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

  
जिला खनन पदाधिकारी,  
पलामू, मेदिनीनगर।



जिला खनन कार्यालय, पलामू, मेदिनीनगर।

पत्रांक.....11.5.1...../एग०, दिनांक.....01.03.2025.....।

प्रेषित,

मेसर्स जय मॉ सतचण्डी स्टोन क्रशर, प्रो० श्री धीरवल यादव, पिता श्री चालकेश्वर यादव, बसडीहा, छतारपुर, पलामू।

विषय :- पलामू जिला के गौजा बरडीहा, थाना छतारपुर, खाता संख्या 21, प्लॉट संख्या 597, रकबा 00.50 एकड़ क्षेत्र पर पत्थर खनिज के खनिज विक्रेता नियंधन को रद्द करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि श्री नयनीत वी०आर०, भा०य०रो०, संलग्न पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल का पत्र संख्या 369, दिनांक 20.02.2025 द्वारा सूचित किया गया है कि आपके द्वारा भंडारण स्थल पर अधिसूचित वनों से उत्खनित पत्थर पाये गये। जिसे जप्त कर आपके विरुद्ध वनवाद दायर किया गया है।

उक्त अनियमितता के बावत आपको कार्यालय पत्रांक 305, दिनांक 22.02.2025 द्वारा कारण पृच्छा निर्गत किया गया था। आपके द्वारा उक्त पत्र में वर्णित अनियमितताओं के बावत अपना पक्ष दिनांक 01.03.2025 को जिला खनन कार्यालय, पलामू में प्रस्तुत किया गया है। कार्यालय के खान निरीक्षकों द्वारा उपरोक्त अनियमितता एवं आपके द्वारा दाखिल प्रतिउत्तर के आवत दिनांक 06.03.2025 को आपके भंडारण स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उनके द्वारा निम्नलिखित अनियमितताएँ पायी गयी :-

1. अनुज्ञापिधारी द्वारा अंतिम रूप से दाखिल माह जनवरी, 25 के मासिक विवरणी में स्टोन चिप्स- 4645Cft, डस्ट-1440Cft बोल्डर फॉर चिप्स- 1300Cft स्टॉक दिखाया गया है। जबकि कार्य स्थल पर उपलब्ध चिप्स- लगभग 4000Cft बोल्डर- लगभग 1000Cft डस्ट- लगभग 1000 Cft का भंडार पाया गया।

इस प्रकार खनिज के भंडार में काफी अंतर पाया गया।

2. स्थल पर खनिज के क्रय विक्रय का पंजी नहीं पाया गया, जो डीलर्स निबंधन के शर्त संख्या-11(iii) का उल्लंघन है।
3. स्थल पर खनिज के क्रय का वैध श्रोत यथा ई-परिवहन चालान प्रस्तुत नहीं किया गया, जो डीलर्स निबंधन के शर्त संख्या-11(ii) का उल्लंघन है।
4. स्थल पर चहारदीवारी नहीं की गयी थी।
5. स्थल पर साईनबोर्ड नहीं लगा हुआ था।
6. स्थल पर परिवहन चालान निकासी की कोई व्यवस्था नहीं पाई गयी।
7. स्थल पर धुलकण से बचाव हेतु पानी छिड़काव की कोई व्यवस्था नहीं थी, किन्तु क्रसर का संचालन कर प्रसंस्करण कार्य किया जा रहा है, जो डीलर्स निबंधन के शर्त संख्या- 11(vi) का उल्लंघन है।
8. स्थल पर प्रदुषण के बचाव हेतु पौधारोपण नहीं किया गया है। जो डीलर्स निबंधन के शर्त संख्या-11(vi) का उल्लंघन है।

खान निरीक्षक द्वारा उपरोक्त अयिमितताओं का उल्लेख करते हुए डीलर्स निबंधन को रद्द करने की अनुशंसा की गयी है। आपके पक्ष में निर्गत डीलर्स निबंधन संख्या J041111317 के कंडिका-11 में स्पष्ट रूप से शर्त अंकित की गयी है कि खनिज का क्रय वैध श्रोत से किया जाना अनिवार्य है। तथा खरीद विक्री किये गये खनिजों का सटीक खाता संधारण करना है। जबकि आपके द्वारा ऐसा नहीं करके डीलर्स निबंधन के शर्तों का उल्लंघन किया गया है। जो The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rule, 2017 के नियम- 5(1) का उल्लंघन है। इस प्रकार आपके पक्ष में स्वीकृत डीलर्स निबंधन को रद्द नहीं किये जाने पर आपके द्वारा पूर्व की भांति खनिजों का अवैध रूप से उत्खनन, परिवहन, भंडारण, प्रसंस्करण एवं विक्री की जाएगी।

जिससे खनन राजस्व की क्षति एवं सरकारी सम्पति की चोरी होती रहेगी। जिस पर प्रभावी अंकुश लगाया जाना अनिवार्य है। उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय एवं राज्य सरकार स्तर से खनिजों के अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण एवं विक्री पर रोक लगाने हेतु पूर्व में सख्त निर्देश प्राप्त है।

अतः आपके पक्ष में स्वीकृत डीलर्स निबंधन संख्या J041111317 को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है। आपको निदेश दिया जाता है कि उक्त स्थल पर किसी भी प्रकार के खनिज का भंडारण/प्रसंस्करण/व्यापार /विक्रय नहीं करेंगे। अन्यथा आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।



11/03/2025  
श्री जिला खनन पदाधिकारी,  
पलामू, मेदिनीनगर।

# जिला खनन कार्यालय, पलामू, मेदिनीनगर।

पत्रांक 450 / एम०, दिनांक 07-03-25।

प्रेषित,

नहादेवा स्टोन चिप्स क्रसर, प्रो० श्री वसंत कुमार गुप्ता, पिता श्री ललन प्रसाद गुप्ता, ग्राम पोस्ट एवं थाना छतरपुर, पलामू

विषय :- पलामू जिला के मौजा वरडीहा, थाना छतरपुर खाता संख्या 21, प्लॉट संख्या 597, रकबा 00.48 एकड क्षेत्र पर पत्थर खनिज के खनिज विक्रेता निबंधन को रद्द करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि श्री नवनीत वी०आर०, मा०व०से०, संलग्न पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल का पत्र संख्या 369, दिनांक 20.02.2025 द्वारा सूचित किया गया है कि आपके द्वारा मंडारण स्थल पर अधिसूचित वनों से उत्खनित पत्थर पाये गये। जिसे जब्त कर आपके विरुद्ध वनवाद दायर किया गया है।

उक्त अनियमितता के बावत आपको कार्यालय पत्रांक 307, दिनांक 22.02.2025 द्वारा कारण पृच्छा निर्गत किया गया था। आपके द्वारा उक्त पत्र में वर्णित अनियमितताओं के बावत अपना पक्ष दिनांक 01.03.2025 को जिला खनन कार्यालय, पलामू में प्रस्तुत किया गया है। कार्यालय के खान निरीक्षकों द्वारा उपरोक्त अनियमितता एवं आपके द्वारा दाखिल प्रतिउत्तर के आवत दिनांक 06.03.2025 को आपके मंडारण स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उनके द्वारा निम्नलिखित अनियमितताएँ पायी गयी :-

1. अनुज्ञापिका द्वारा अंतिम रूप से दाखिल माह जनवरी, 25 के मासिक विवरणी में स्टोन चिप्स- 2020 Cft, डस्ट-3380 Cft, बोल्टर फॉर चिप्स- 2925 Cft स्टॉक दिखाया गया है। जबकि कार्य स्थल पर उपलब्ध चिप्स- लगभग 1200Cft बोल्टर- लगभग 2500Cft डस्ट- लगभग 2800Cft का भंडार पाया गया।

इस प्रकार खनिज के भंडार में काफी अंतर पाया गया।

2. स्थल पर खनिज के क्रय विक्रय का पंजी नहीं पाया गया, जो डीलर्स निबंधन के शर्त संख्या-11(iii) का उल्लंघन है।

3. स्थल पर खनिज के क्रय का वैध श्रोत यथा ई-परिवहन चालान प्रस्तुत नहीं किया गया, जो डीलर्स निबंधन के शर्त संख्या-11(ii) का उल्लंघन है।

4. स्थल पर चहारदीवारी नहीं की गयी थी।

5. स्थल पर साईनबोर्ड नहीं लगा हुआ था।

6. स्थल पर परिवहन चालान निकासी की कोई व्यवस्था नहीं पाई गयी।

7. स्थल पर धुलकण से बचाव हेतु पानी छिड़काव की कोई व्यवस्था नहीं थी, किन्तु क्रसर का संचालन कर प्रसंस्करण कार्य किया जा रहा है, जो डीलर्स निबंधन के शर्त संख्या- 11(vi) का उल्लंघन है।

8. स्थल पर प्रदुषण के बचाव हेतु पौधारोपण नहीं किया गया है। जो डीलर्स निबंधन के शर्त संख्या-11(vi) का उल्लंघन है।

खान निरीक्षक द्वारा उपरोक्त अधिमितताओं का उल्लेख करते हुए डीलर्स निबंधन को रद्द करने की अनुशंसा की गयी है। आपके पक्ष में निर्गत डीलर्स निबंधन संख्या J041121027 के कंडिका-11 में स्पष्ट रूप से शर्त अंकित की गयी है कि खनिज का क्रय वैध श्रोत से किया जाना अनिवार्य है। तथा खरीद बिक्री किये गये खनिजों का सटीक खाता संचारण करना है। जबकि आपके द्वारा ऐसा नहीं करके डीलर्स निबंधन के शर्तों का उल्लंघन किया गया है। जो The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rule, 2017 के नियम- 5(1) का उल्लंघन है। इस प्रकार आपके पक्ष में स्वीकृत डीलर्स निबंधन को रद्द नहीं किये जाने पर आपके द्वारा पूर्व की भांति खनिजों का अवैध रूप से उत्खनन, परिवहन, भंडारण, प्रसंस्करण एवं बिक्री की जाएगी।

जिससे खनन राजस्व की क्षति एवं सरकारी सम्पत्ति की चोरी होती रहेगी। जिस पर प्रभावी अंकुश लगाया जाना अनिवार्य है। उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय एवं राज्य सरकार स्तर से खनिजों के अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण एवं बिक्री पर रोक लगाने हेतु पूर्व में सख्त निर्देश प्राप्त है।

अतः आपके पक्ष में स्वीकृत डीलर्स निबंधन संख्या J041121027 को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है। आपको निर्देश दिया जाता है कि उक्त स्थल पर किसी भी प्रकार के खनिज का भंडारण/प्रसंस्करण/व्यापार/विक्रय नहीं करेंगे। अन्यथा आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।



7/3/25  
जिला खनन पदाधिकारी,  
पलामू, मेदिनीनगर।

# जिला खनन कार्यालय, पलामू, मेदिनीनगर।

पत्रांक 449 / एग०, दिनांक 01-03-25।

प्रेषित,

मॉ स्टोन क्रसर, प्रो० श्री कृष्ण प्रसाद साहु, पिता श्री भगवान साहु, ग्राम चराई, छतरपुर, पलामू।

विषय :- पलामू जिला के मौजा चराई, थाना छतरपुर, खाता संख्या 08, प्लॉट संख्या 673, रकबा 1.00 एकड़ क्षेत्र पर पत्थर खनिज के खनिज विक्रेता निबंधन को रद्द करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि श्री नयनीत वी०आर०, भा०व०से०, संलग्न पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल का पत्र संख्या 369, दिनांक 20.02.2025 द्वारा सूचित किया गया है कि आपके द्वारा भंडारण स्थल पर अधिसूचित वनों से उत्खनित पत्थर पाये गये। जिसे जवाब कर आपके विरुद्ध वनवाद दायर किया गया है।

उक्त अनियमितता के बावत आपको कार्यालय पत्रांक 306, दिनांक 22.02.2025 द्वारा कारण पृच्छा निर्गत किया गया था। आपके द्वारा उक्त पत्र में वर्णित अनियमितताओं के बावत अपना पक्ष दिनांक 01.03.2025 को जिला खनन कार्यालय, पलामू में प्रस्तुत किया गया है। कार्यालय के खान निरीक्षकों द्वारा उपरोक्त अनियमितता एवं आपके द्वारा दाखिल प्रतिउत्तर के आवत दिनांक 06.03.2025 को आपके भंडारण स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उनके द्वारा निम्नलिखित अनियमितताएँ पायी गयी :-

1. अनुज्ञापिधारी द्वारा अंतिम रूप से दाखिल माह जनवरी, 25 के मासिक विवरणी में स्टोन चिप्स- 8805 Cft, डस्ट-1720 Cft, बोल्टर फॉर चिप्स- 2580 Cft स्टॉक दिखाया गया है। जबकि कार्य स्थल पर उपलब्ध चिप्स- लगभग 8000 Cft बोल्टर- लगभग 3500 Cft डस्ट- लगभग 1500 Cft का भंडार पाया गया।

इस प्रकार खनिज के भंडार में काफी अंतर पाया गया।

2. स्थल पर खनिज के क्रय विक्रय का पंजी नहीं पाया गया, जो डीलर्स निबंधन के शर्त संख्या-11(iii) का उल्लंघन है।
3. स्थल पर खनिज के क्रय का वैध श्रोत यथा ई-परिवहन चालान प्रस्तुत नहीं किया गया, जो डीलर्स निबंधन के शर्त संख्या-11(ii) का उल्लंघन है।
4. स्थल पर चहारदीवारी नहीं की गयी थी।
5. स्थल पर साईनबोर्ड नहीं लगा हुआ था।
6. स्थल पर परिवहन चालान निकासी की कोई व्यवस्था नहीं पाई गयी।
7. स्थल पर धुलकण से बचाव हेतु पानी छिड़काव की कोई व्यवस्था नहीं थी, किन्तु क्रसर का संचालन कर प्रसंस्करण कार्य किया जा रहा है, जो डीलर्स निबंधन के शर्त संख्या- 11(vi) का उल्लंघन है।
8. स्थल पर प्रदुषण के बचाव हेतु पौधारोपण नहीं किया गया है। जो डीलर्स निबंधन के शर्त संख्या-11(vi) का उल्लंघन है।

खान निरीक्षक द्वारा उपरोक्त अयमितताओं का उल्लेख करते हुए डीलर्स निबंधन को रद्द करने की अनुशंसा की गयी है। आपके पक्ष में निर्गत डीलर्स निबंधन संख्या J041123679 के कंडिका-11 में स्पष्ट रूप से शर्त अंकित की गयी है कि खनिज का क्रय वैध श्रोत से किया जाना अनिवार्य है। तथा खरीद विक्री किये गये खनिजों का सटीक खाता संधारण करना है। जबकि आपके द्वारा ऐसा नहीं करके डीलर्स निबंधन के शर्तों का उल्लंघन किया गया है। जो The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rule, 2017 के नियम- 5(1) का उल्लंघन है। इस प्रकार आपके पक्ष में स्वीकृत डीलर्स निबंधन को रद्द नहीं किये जाने पर आपके द्वारा पूर्व की भांति खनिजों का अवैध रूप से उत्खनन, परिवहन, भंडारण, प्रसंस्करण एवं विक्री की जाएगी।

जिससे खनन राजस्व की क्षति एवं सरकारी सम्पत्ति की चोरी होती रहेगी। जिस पर प्रभावी अंकुश लगाया जाना अनिवार्य है। उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय एवं राज्य सरकार स्तर से खनिजों के अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण एवं विक्री पर रोक लगाने हेतु पूर्व में सख्त निर्देश प्राप्त है।

अतः आपके पक्ष में स्वीकृत डीलर्स निबंधन संख्या J041123679 को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है। आपको निदेश दिया जाता है कि उक्त स्थल पर किसी भी प्रकार के खनिज का भंडारण/प्रसंस्करण/व्यापार/विक्रय नहीं करेंगे। अन्यथा आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जिला खनन पदाधिकारी,  
पलामू, मेदिनीनगर।

01/03/2025



# जिला खनन कार्यालय, पलामू, मेदिनीनगर।

पत्रांक...448...../एम०, दिनांक...07-03-25.....।

प्रेषित,

मेसर्स वैष्णव माता स्टोन चिप्स क्रसर, प्रो० श्री पप्पू कुमार, श्री कपिलदेव सिंह, ग्राम मसिहानी, पोस्ट एवं थाना छतरपुर, पलामू।

विषय :- पलामू जिला के मौजा चराई, थाना छतरपुर खाता संख्या 08, प्लॉट संख्या 673, रकबा 00.50 एकड़ क्षेत्र पर पत्थर खनिज के खनिज विक्रेता निबंधन को रद्द करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि श्री नवनीत वी०आर०, मा०व०से०, संलग्न पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल का पत्र संख्या 369, दिनांक 20.02.2025 द्वारा सूचित किया गया है कि आपके द्वारा भंडारण स्थल पर अधिसूचित वनों से उत्खनित पत्थर पाये गये। जिसे जवाब कर आपके विरुद्ध वनवाद दायर किया गया है।

उक्त अनियमितता के बावत आपको कार्यालय पत्रांक 308, दिनांक 22.02.2025 द्वारा कारण पृच्छा निर्गत किया गया था। आपके द्वारा उक्त पत्र में वर्णित अनियमितताओं के बावत अपना पक्ष दिनांक 04.03.2025 को जिला खनन कार्यालय, पलामू में प्रस्तुत किया गया है। कार्यालय के खान निरीक्षकों द्वारा उपरोक्त अनियमितता एवं आपके द्वारा दाखिल प्रतिउत्तर के आवत दिनांक 06.03.2025 को आपके भंडारण स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उनके द्वारा निम्नलिखित अनियमितताएँ पायी गयी :-

1. अनुज्ञापिधारी द्वारा अंतिम रूप से दाखिल माह फरवरी, 2025 के मासिक विवरणी में स्टोन चिप्स- 6874.375 Cft, डेस्ट-1037.375Cft, बोल्टर फॉर चिप्स- 6025Cft स्टॉक दिखाया गया है। जबकि कार्य स्थल पर उपलब्ध चिप्स- लगभग 6000Cft बोल्टर- लगभग 5500Cft डेस्ट- लगभग 800Cft का भंडार पाया गया।

इस प्रकार खनिज के भंडार में काफी अंतर पाया गया।

1. स्थल पर खनिज के क्रय विक्रय का पंजी नहीं पाया गया, जो डीलर्स निबंधन के शर्त संख्या-11(iii) का उल्लंघन है।
2. स्थल पर खनिज के क्रय का वैध श्रोत यथा ई-परिवहन चालान प्रस्तुत नहीं किया गया, जो डीलर्स निबंधन के शर्त संख्या-11(ii) का उल्लंघन है।
3. स्थल पर चहारदीवारी नहीं की गयी थी।
4. स्थल पर साईनबोर्ड नहीं लगा हुआ था।
5. स्थल पर परिवहन चालान निकासी की कोई व्यवस्था नहीं पाई गयी।
6. स्थल पर धुलकण से बचाव हेतु पानी छिड़काव की कोई व्यवस्था नहीं थी, किन्तु क्रसर का संचालन कर प्रसंस्करण कार्य किया जा रहा है, जो डीलर्स निबंधन के शर्त संख्या- 11(vi) का उल्लंघन है।
7. स्थल पर प्रदुषण के बचाव हेतु पौधारोपण नहीं किया गया है। जो डीलर्स निबंधन के शर्त संख्या-11(vi) का उल्लंघन है।

खान निरीक्षक द्वारा उपरोक्त अयमितताओं का उल्लेख करते हुए डीलर्स निबंधन को रद्द करने की अनुशंसा की गयी है। आपके पक्ष में निर्गत डीलर्स निबंधन संख्या J041115277 के कंडिका-11 में स्पष्ट रूप से शर्त अंकित की गयी है कि खनिज का क्रय वैध श्रोत से किया जाना अनिवार्य है। तथा खरीद बिक्री किये गये खनिजों का सटीक खाता संधारण करना है। जबकि आपके द्वारा ऐसा नहीं करके डीलर्स निबंधन के शर्तों का उल्लंघन किया गया है। जो The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rule, 2017 के नियम- 5(1) का उल्लंघन है। इस प्रकार आपके पक्ष में स्वीकृत डीलर्स निबंधन को रद्द नहीं किये जाने पर आपके द्वारा पूर्व की भांति खनिजों का अवैध रूप से उत्खनन, परिवहन, भंडारण, प्रसंस्करण एवं बिक्री की जाएगी।

जिससे खनन राजस्व की क्षति एवं सरकारी सम्पत्ति की चोरी होती रहेगी। जिस पर प्रभावी अंकुश लगाया जाना अनिवार्य है। उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय एवं राज्य सरकार स्तर से खनिजों के अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण एवं बिक्री पर रोक लगाने हेतु पूर्व में सख्त निर्देश प्राप्त है।

अतः आपके पक्ष में स्वीकृत डीलर्स निबंधन संख्या J041115277 को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है। आपको निदेश दिया जाता है कि उक्त स्थल पर किसी भी प्रकार के खनिज का भंडारण/प्रसंस्करण/व्यापार/विक्रय नहीं करेंगे। अन्यथा आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।



8/3/25  
जिला खनन पदाधिकारी,  
पलामू, मेदिनीनगर।

# जिला खनन कार्यालय, पलामू, मेदिनीनगर।

पत्रांक.....1111/...../एम०, दिनांक...03-03-25।

प्रेषित,

सर्वश्री जय माँ तिलोरी स्टोन क्रसर, पार्ट० श्री ओम प्रकाश जयसवाल, वल्द स्व० राम सुन्दर जयसवाल एवं श्री दीपक कुमार, वल्द श्री उदय शंकर प्रसाद, ग्राम+पो० जम्होर, औरंगाबाद, बिहार।

विषय:- पलामू जिला के मौजा चराई, थाना छत्तरपुर थाना सं० 298, खाता संख्या 08, प्लॉट संख्या 673, रकबा 1.00 एकड़ क्षेत्र पर पत्थर खनिज के खनिज विक्रेता निबंधन को रद्द करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि श्री नवनीत बी०आर०, भा०व०से०, संलग्न पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल का पत्र संख्या 369, दिनांक 20.02.2025 द्वारा सूचित किया गया है कि आपके द्वारा भंडारण स्थल पर अधिसूचित वनों से उत्खनित पत्थर पाये गये। जिसे जब्त कर आपके विरुद्ध वनवाद दायर किया गया है।

उक्त अनियमितता के बावत आपको कार्यालय पत्रांक 310, दिनांक 22.02.2025 द्वारा कारण पृच्छा निर्गत किया गया था। आपके द्वारा उक्त पत्र में वर्णित अनियमितताओं के बावत अपना पक्ष दिनांक 04.03.2025 को जिला खनन कार्यालय, पलामू में प्रस्तुत किया गया है। कार्यालय के खान निरीक्षकों द्वारा उपरोक्त अनियमितता एवं आपके द्वारा दाखिल प्रतिउत्तर के आवत दिनांक 06.03.2025 को आपके भंडारण स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उनके द्वारा निम्नलिखित अनियमितताएँ पायी गयी :-

1. अनुज्ञापिधारी द्वारा अंतिम रूप से दाखिल माह फरवरी, 2025 के मासिक विवरणी में स्टोन चिप्स- 4050Cft, डस्ट-450Cft, बोल्टर फॉर चिप्स-500Cft स्टॉक दिखाया गया है। जबकि कार्य स्थल पर उपलब्ध चिप्स- लगभग 2500Cft बोल्टर- लगभग 700Cft डस्ट- लगभग 400Cft का भंडार पाया गया।

इस प्रकार खनिज के भंडार में काफी अंतर पाया गया।

1. स्थल पर खनिज के क्रय विक्रय का पंजी नहीं पाया गया, जो डीलर्स निबंधन के शर्त संख्या-11(iii) का उल्लंघन है।
2. स्थल पर खनिज के क्रय का वैध श्रोत यथा ई-परिवहन चालान प्रस्तुत नहीं किया गया, जो डीलर्स निबंधन के शर्त संख्या-11(ii) का उल्लंघन है।
3. स्थल पर चहारदीवारी नहीं की गयी थी।
4. स्थल पर साईनबोर्ड नहीं लगा हुआ था।
5. स्थल पर परिवहन चालान निकासी की कोई व्यवस्था नहीं पाई गयी।
6. स्थल पर धुलकण से बचाव हेतु पानी छिड़काव की कोई व्यवस्था नहीं थी, किन्तु क्रसर का संचालन कर प्रसंस्करण कार्य किया जा रहा है, जो डीलर्स निबंधन के शर्त संख्या- 11(vi) का उल्लंघन है।
7. स्थल पर प्रदुषण के बचाव हेतु पौधारोपण नहीं किया गया है। जो डीलर्स निबंधन के शर्त संख्या-11(vi) का उल्लंघन है।

खान निरीक्षक द्वारा उपरोक्त अनियमितताओं का उल्लेख करते हुए डीलर्स निबंधन को रद्द करने की अनुशंसा की गयी है। आपके पक्ष में निर्गत डीलर्स निबंधन संख्या J041115058 के कंडिका-11 में स्पष्ट रूप से शर्त अंकित की गयी है कि खनिज का क्रय वैध श्रोत से किया जाना अनिवार्य है। तथा खरीद बिक्री किये गये खनिजों का सटीक खाता संधारण करना है। जबकि आपके द्वारा ऐसा नहीं करके डीलर्स निबंधन के शर्तों का उल्लंघन किया गया है। जो The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rule, 2017 के नियम- 5(1) का उल्लंघन है। इस प्रकार आपके पक्ष में स्वीकृत डीलर्स निबंधन को रद्द नहीं किये जाने पर आपके द्वारा पूर्व की भांति खनिजों का अवैध रूप से उत्खनन, परिवहन, भंडारण, प्रसंस्करण एवं बिक्री की जाएगी।

जिससे खनन राजस्व की क्षति एवं सरकारी सम्पत्ति की चोरी होती रहेगी। जिस पर प्रभावी अंकुश लगाया जाना अनिवार्य है। उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय एवं राज्य सरकार स्तर से खनिजों के अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण एवं बिक्री पर रोक लगाने हेतु पूर्व में सख्त निर्देश प्राप्त है।

अतः आपके पक्ष में स्वीकृत डीलर्स निबंधन संख्या J041115058 को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है। आपको निदेश दिया जाता है कि उक्त स्थल पर किसी भी प्रकार के खनिज का भंडारण/ प्रसंस्करण/ व्यापार/ विक्रय नहीं करेंगे। अन्यथा आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।



812 जिला खनन पदाधिकारी,  
पलामू, मेदिनीनगर।  
20/03/2025

# जिला खनन कार्यालय, पलामू, मेदिनीनगर।

पत्रांक... 397 / एम०, दिनांक... 04-03-25 ।

प्रेषित.

सर्वश्री जय मों विंधासनी स्टोन चिप्स क्रसर, प्रो० श्री राकेश कु० सिंह, वल्द श्री अवध बिहारी सिंह ग्राम+पो० +थाना छतरपुर, पलामू।

विषय :- पलामू जिला के गौजा बरडीहा, थाना छतरपुर थाना सं० 294, खाता सं० 25, प्लॉट सं० 600(अंश), रकबा 00.48 एकड़ क्षेत्र पर पत्थर खनिज के खनिज विक्रेता निबंधन को रद्द करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि श्री नवनीत बी०आर०, भा०व०से०, संलग्न पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल का पत्र संख्या 369, दिनांक 20.02.2025 द्वारा सूचित किया गया है कि आपके द्वारा भंडारण स्थल पर अधिसूचित वनों से उत्खनित पत्थर पाये गये। जिसे जब्त कर आपके विरुद्ध वनवाद दायर किया गया है।

उक्त अनियमितता के बावत आपको कार्यालय पत्रांक 312, दिनांक 22.02.2025 द्वारा कारण पृच्छा निर्गत किया गया था। आपके द्वारा उक्त पत्र में वर्णित अनियमितताओं के बावत अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे स्पष्ट है कि आपके द्वारा की गयी अनियमितता के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

कार्यालय के खान निरीक्षक द्वारा आपके भंडारण स्थल का निरीक्षण दिनांक 01.03.2025 को किया गया जिसमें निम्न अनियमितताएँ पायी गयी :-

1. स्थल पर उत्पादन प्रेषण पंजी नहीं पाया गया।
2. पत्थर खनिज का प्रेषण बिना परिवहन चालान के ही किया जा रहा है।
3. आपके द्वारा स्थल पर उपलब्ध खनिज के क्रय का कोई पुख्ता श्रोत अथवा परिवहन चालान प्रस्तुत नहीं किया गया है।
4. जिम्स पोर्टल के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि आपके द्वारा पिछले कई माह से खनिज का प्रेषण नहीं किया जा रहा है।

जांच के उपरांत खान निरीक्षक द्वारा अपने प्रतिवेदन में आपके पक्ष में निर्गत डीलर्स अनुज्ञापति को रद्द करने की अनुशंसा की गयी है। आपके पक्ष में निर्गत डीलर्स निबंधन संख्या J041114287 के कंडिका-11 में स्पष्ट रूप से शर्त अंकित की गयी है कि खनिज का क्रय वैध श्रोत से किया जाना अनिवार्य है। तथा खरीद बिक्री किये गये खनिजों का सटीक खाता संधारण करना है। जबकि आपके द्वारा ऐसा नहीं करके डीलर्स निबंधन के शर्तों का उल्लंघन किया गया है। जो The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rule, 2017 के नियम- 5(1) का उल्लंघन है। आपको उपरोक्त अनियमितताओं के बावत अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया किन्तु आपके द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर आपके विरुद्ध लगाये गये आरोप सही प्रतीत हुए हैं। खान निरीक्षक के द्वारा भी जांच कर इसकी पुष्टि की गयी है। अधोहस्ताक्षरी इस बात से पूरी तरह सहमत है कि आपके पक्ष में स्वीकृत डीलर्स निबंधन को रद्द नहीं किये जाने पर आपके द्वारा पूर्व की भांति खनिजों का अवैध रूप से उत्खनन, परिवहन, भंडारण, प्रसंस्करण एवं बिक्री की जाएगी।

जिससे खनन राजस्व की क्षति एवं सरकारी सम्पत्ति की चोरी होती रहेगी। जिस पर प्रभावी अंकुश लगाया जाना अनिवार्य है। उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय एवं राज्य सरकार स्तर से खनिजों के अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण एवं बिक्री पर रोक लगाने हेतु पूर्व में सख्त निर्देश प्राप्त है।

अतः आपके पक्ष में स्वीकृत डीलर्स निबंधन संख्या J041114287 को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है। आपको निदेश दिया जाता है कि उक्त स्थल पर किसी भी प्रकार के खनिज का भंडारण/प्रसंस्करण/व्यापार/विक्रय नहीं करेंगे। अन्यथा आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जिला खनन पदाधिकारी,  
पलामू, मेदिनीनगर।

ज्ञापांक... 397 / एम०, दिनांक... 04-03-25 ।

प्रतिलिपि :- अंचल अधिकारी, छतरपुर/थाना प्रभारी, छतरपुर/श्री हरेन्द्र कुमार गुप्ता, खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, पलामू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि उक्त स्थल पर अपने स्तर से आवश्यक निगरानी रखेंगे।

प्रतिलिपि :- अनुमण्डल पदाधिकारी, छतरपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- उपायुक्त, पलामू/वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिला खनन पदाधिकारी,  
पलामू, मेदिनीनगर।





# जिला खनन कार्यालय, पलामू, मेदिनीनगर।

पत्रांक... 1337 / एम०, दिनांक... 25-06-25

e-mail :- dmo-palamau@jharkhandmail.gov.in

प्रेषित,

M/S Ashok kumar singh  
प्र० श्री अशोक कुमार सिंह,  
पिता श्री राम बचन सिंह,  
ग्राम रेहला खुर्द, विश्रामपुर, पलामू

विषय:-

मौजा बरडीहा, थाना छतरपुर, खाता संख्या 25, प्लॉट संख्या 600 रकबा 00.40 एकड़ क्षेत्र पर धारित पत्थर भंडारण अनुज्ञप्ति को निरस्त/रद्द करने के संबंध में।

प्रसंग :-

इस कार्यालय के पत्रांक 1431, दिनांक 03.06.2025


उपरोक्त विषयक सूचित करना है कि आपके पक्ष में स्वीकृत डीलर्स अनुज्ञप्ति /भंडारण अनुज्ञप्ति क्षेत्र का निरीक्षण कार्यालय के खान निरीक्षक द्वारा दिनांक 03.06.2025 को किया गया। निरीक्षण के क्रम में पाये गये अनियमितताओं के बावत आपको प्रसांगिक पत्र के माध्यम से कारण पृच्छा निर्गत करते हुए आपको पक्ष प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था। आपके द्वारा तय अवधि के अंदर कोई भी जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे स्पष्ट है कि आपके द्वारा पत्थर भंडारण में की गयी अनियमितता के विरुद्ध कुछ नहीं कहना है।

उल्लेखनीय है कि झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद के पत्रांक 1502, दिनांक 30.05.2025 के द्वारा आपके पक्ष में निर्गत CTO को निरस्त करते हुए ईकाई के संचालन को बंद करने का निदेश दिया गया है। तथा कार्यालय के खान निरीक्षकों द्वारा आपके पक्ष में निर्गत डीलर्स निबंधन को रद्द करने की अनुशंसा की गयी है।

आपके द्वारा डीलर्स निबंधन के शर्त संख्या- 11(i),11(iii),11(vi) का उल्लंघन किया गया है। आपको "The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rule,2017 के नियम 8(iii) के तहत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया किन्तु उक्त अवधि में आपके द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया तथा अनियमितताओं के विरुद्ध कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी।

उपरोक्त के आलोक में अवैध खनन एवं भंडारण की रोकथाम हेतु "The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rule,2017 के नियम 8(iii) में वर्णित प्रावधान के तहत आपके पक्ष में निर्गत डीलर्स निबंधन संख्या को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है।

आपको आदेश दिया जाता है कि स्थल पर किसी भी प्रकार के खनिज का भंडारण, प्रसंस्करण का कार्य नहीं करेंगे। अन्यथा आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

  
25/06/2025  
जिला खनन पदाधिकारी,  
पलामू, मेदिनीनगर।

ज्ञापक... 1337 / एम०, दिनांक... 25-06-25

प्रतिलिपि :-


अंचल अधिकारी, छतरपुर/थाना प्रभारी, छतरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि उक्त स्थल पर अपने स्तर से आवश्यक निगरानी रखेंगे।

प्रतिलिपि :-


अनुमण्डल पदाधिकारी, छतरपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :-

खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, पलामू को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उक्त स्थल पर अपने स्तर से आवश्यक निगरानी रखेंगे।

  
25/06/2025  
जिला खनन पदाधिकारी,  
पलामू, मेदिनीनगर।







## जिला खनन कार्यालय, पलामू, मेदिनीनगर।

e-mail :- dno-palamu@jharkhandmail.gov.in  
पत्रांक...1778...../एम०,दिनांक...25-06-25.....

प्रेषित,

मेसर्स माँ शोरावाली स्टोन चिप्स, प्रो० श्री मनोज कुमार गुप्ता, पिता स्व० गुरु साव, ग्राम, पोस्ट एवं थाना छतरपुर, पलामू

विषय:-

मौजा बरडीहा, थाना छतरपुर थाना संख्या 394, खाता संख्या 25, प्लॉट संख्या 600, रकबा 00.40 एकड़ क्षेत्र पर धारित पत्थर भंडारण अनुज्ञापि को निरस्त/रद्द करने के संबंध में।

प्रसंग :-

इस कार्यालय के पत्रांक 1432, दिनांक 03.06.2025

उपरोक्त विषयक सूचित करना है कि आपके पक्ष में स्वीकृत डीलर्स अनुज्ञापि /भंडारण अनुज्ञापि क्षेत्र का निरीक्षण कार्यालय के खान निरीक्षक द्वारा दिनांक 03.06.2025 को किया गया।


निरीक्षण के क्रम में पाये गये अनियमितताओं के बावत आपको प्रसांगिक पत्र के माध्यम से कारण पृच्छा निर्गत करते हुए आपको पक्ष प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था। आपके द्वारा तय अवधि के अंदर कोई भी जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे स्पष्ट है कि आपके द्वारा पत्थर भंडारण में की गयी अनियमितता के विरुद्ध कुछ नहीं कहना है।

उल्लेखनीय है कि झारखण्ड राज्य प्रदुषण नियंत्रण पर्वद के पत्रांक 1507, दिनांक 30.05.2025 के द्वारा आपके पक्ष में निर्गत CTO को निरस्त करते हुए ईकाई के संचालन को बंद करने का निदेश दिया गया है। तथा कार्यालय के खान निरीक्षकों द्वारा आपके पक्ष में निर्गत डीलर्स निबंधन को रद्द करने की अनुशंसा की गयी है।

आपके द्वारा डीलर्स निबंधन के शर्त संख्या- 11(i),11(iii),11(vi) का उल्लंघन किया गया है। आपको "The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rule,2017 के नियम 8(iii) के तहत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया किन्तु उक्त अवधि में आपके द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया तथा अनियमितताओं के विरुद्ध कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी।

उपरोक्त के आलोक में अवैध खनन एवं भंडारण की रोकथाम हेतु "The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rule,2017 के नियम 8(iii) में वर्णित प्रावधान के तहत आपके पक्ष में निर्गत डीलर्स निबंधन संख्या को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है।

-आपको आदेश दिया जाता है, कि स्थल पर किसी भी प्रकार के खनिज का भंडारण, प्रसंस्करण का कार्य नहीं करेंगे। अन्यथा आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


  
25/06/2025  
जिला खनन पदाधिकारी,  
पलामू, मेदिनीनगर।

ज्ञापांक...1778...../एम०, दिनांक...25-06-25.....

- प्रतिलिपि :- अंचल अधिकारी, छतरपुर/थाना प्रभारी, छतरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि उक्त स्थल पर अपने स्तर से आवश्यक निगरानी रखेंगे।
- प्रतिलिपि :- अनुमण्डल पदाधिकारी, छतरपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, पलामू को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उक्त स्थल पर अपने स्तर से आवश्यक निगरानी रखेंगे।



o/c

  
25/06/2025  
जिला खनन पदाधिकारी,  
पलामू, मेदिनीनगर।



## जिला खनन कार्यालय, पलामू, मेदिनीनगर।

पत्रांक...1779/एम0, दिनांक...25.06.25

प्रेषित,

श्री रविन्द्र कुमार सिंह स्टोन चिप्पा, प्रो० श्री रविन्द्र कुमार सिंह, वल्द स्व० हुसैनी सिंह, ग्राम तरीडीह, पो० नामुदाग, छत्तरपुर, पलामू

विषय:-

मौजा गुरुमदाग, थाना छत्तरपुर थाना सं० 328, खाता सं० 16 प्लॉट संख्या 877, रकबा 00.50 एकड़ क्षेत्र पर धारित पत्थर भंडारण अनुज्ञापति को निरस्त/रद्द करने के संबंध में।

प्रसंग :-

इस कार्यालय के पत्रांक 1433, दिनांक 03.06.2025

उपरोक्त विषयक सूचित करना है कि आपके पक्ष में स्वीकृत डीलर्स अनुज्ञापति / भंडारण अनुज्ञापति क्षेत्र का निरीक्षण कार्यालय के खान निरीक्षक द्वारा दिनांक 03.06.2025 को किया गया।

निरीक्षण के क्रम में पाये गये अनियमितताओं के बावत आपको प्रसांगिक पत्र के माध्यम से, कारण पृच्छा निर्गत करते हुए आपको पक्ष प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था। आपके द्वारा तय अवधि के अंदर कोई भी जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे स्पष्ट है कि आपके द्वारा पत्थर भंडारण में की गयी अनियमितता के विरुद्ध कुछ नहीं कहना है।

उल्लेखनीय है कि झारखण्ड राज्य प्रदुषण नियंत्रण पर्वद के पत्रांक 1498, दिनांक 30.05.2025 के द्वारा आपके पक्ष में निर्गत CTO को निरस्त करते हुए ईकाई के संचालन को बंद करने का निदेश दिया गया है। तथा कार्यालय के खान निरीक्षकों द्वारा आपके पक्ष में निर्गत डीलर्स निबंधन को रद्द करने की अनुशंसा की गयी है।

आपके द्वारा डीलर्स निबंधन के शर्त संख्या- 11(i), 11(ii), 11(vi) का उल्लंघन किया गया है। आपको "The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rule, 2017 के नियम 8(iii) के तहत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया किन्तु उक्त अवधि में आपके द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया तथा अनियमितताओं के विरुद्ध कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी।

उपरोक्त के आलोक में अवैध खनन एवं भंडारण की रोकथाम हेतु "The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rule, 2017 के नियम 8(iii) में वर्णित प्रावधान के तहत आपके पक्ष में निर्गत डीलर्स निबंधन संख्या को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है।

आपको आदेश दिया जाता है कि स्थल पर किसी भी प्रकार के खनिज का भंडारण, प्रसंस्करण का कार्य नहीं करेंगे। अन्यथा आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जिला खनन पदाधिकारी,  
पलामू, मेदिनीनगर।

पत्रांक...1779/एम0, दिनांक...25.06.25

प्रतिलिपि :-

अंचल अधिकारी, छत्तरपुर/थाना प्रभारी, छत्तरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि उक्त स्थल पर अपने स्तर से आवश्यक निगरानी रखेंगे।

प्रतिलिपि :-

अनुमण्डल पदाधिकारी, छत्तरपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :-

खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, पलामू को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उक्त स्थल पर अपने स्तर से आवश्यक निगरानी रखेंगे।



O/C

जिला खनन पदाधिकारी,  
पलामू, मेदिनीनगर।



## जिला खनन कार्यालय, पलामू, मेदिनीनगर।

e-mail :- dmo-palamau@jharkhandmail.gov.in

पत्रांक...1434...../एम०,दिनांक.25.06.25

प्रेषित,

सहारा स्टोन चिप्स, प्रो० अलीमुदीन अंसारी, पिता जमीरुदीन अंसारी, ग्राम मुरुमदाग, छतरपुर, पलामू

विषय:-

मौजा मुरुमदाग, थाना छतरपुर, खाता संख्या 16, प्लॉट संख्या 877, रकबा 00.55 डी० क्षेत्र पर धारित पत्थर भंडारण अनुज्ञप्ति को निरस्त/रद्द करने के संबंध में।

प्रसंग :-

इस कार्यालय के पत्रांक 1434, दिनांक 03.06.2025

उपरोक्त विषयक सूचित करना है कि आपके पक्ष में स्वीकृत डीलर्स अनुज्ञप्ति /भंडारण अनुज्ञप्ति क्षेत्र का निरीक्षण कार्यालय के खान निरीक्षक द्वारा दिनांक 03.06.2025 को किया गया। निरीक्षण के क्रम में पाये गये अनियमितताओं के बावत आपको प्रसांगिक पत्र के माध्यम से कारण पृच्छा निर्गत करते हुए आपको पक्ष प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था। आपके द्वारा तय अवधि के अंदर कोई भी जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे स्पष्ट है कि आपके द्वारा पत्थर भंडारण में की गयी अनियमितता के विरुद्ध कुछ नहीं कहना है।

उल्लेखनीय है कि झारखण्ड राज्य प्रदुषण नियंत्रण पर्वद के पत्रांक 1496, दिनांक 30.05.2025 के द्वारा आपके पक्ष में निर्गत CTO को निरस्त करते हुए ईकाई के संचालन को बंद करने का निदेश दिया गया है। तथा कार्यालय के खान निरीक्षकों द्वारा आपके पक्ष में निर्गत डीलर्स निबंधन को रद्द करने की अनुशंसा की गयी है।

आपके द्वारा डीलर्स निबंधन के शर्त संख्या- 11(i),11(iii),11(vi) का उल्लंघन किया गया है। आपको "The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rule,2017 के नियम 8(iii) के तहत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया किन्तु उक्त अवधि में आपके द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया तथा अनियमितताओं के विरुद्ध कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी।

उपरोक्त के आलोक में अवैध खनन एवं भंडारण की रोकथाम हेतु "The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rule,2017 के नियम 8(iii) में वर्णित प्रावधान के तहत आपके पक्ष में निर्गत डीलर्स निबंधन संख्या को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है।

आपको आदेश दिया जाता है कि स्थल पर किसी भी प्रकार के खनिज का भंडारण, प्रसंस्करण का कार्य नहीं करेंगे। अन्यथा आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

*[Handwritten Signature]*  
जिला खनन पदाधिकारी,  
पलामू, मेदिनीनगर।

